कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सहायता अनुभाग रूम नं 12 कलक्ट्रेट सभा — email Id-oicreliefswm@gmail.com

कमांकः– सहा./क्षति.ग्रस्त. परि. 2021/ 5374 — दिनांकः– 30.09.2022

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2022 में बाढ़ /अत्यधिक वर्षा से जल संसाधन विभाग सवाई माधोपुर के क्षतिग्रस्त बांध/नहरों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनस्थापना हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों व आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 25/2022–23 पत्रांक एफ.8(11)आ.प्र. एवं सहा/प्रस्ताव/बाढ/22/10622–628 दिनांक 08.09.2022 के अनुसार बाढ/अत्यधिक वर्षा से हुई क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु कुल 13 कार्यो हेतु राशि रूपये 28.80 लाख (अट्ठाईस लाख 80 हजार रूपये मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई है, की पालना में निम्नांकित कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2022–23 में बजट मद 2245–02–122–02–01 के उपमद 21 से किया जावेगा।

कम संख्या	क्षतिग्रस्त स्कीम (बांध/नहर/अन्य) का नाम	क्षतिग्रस्त परिसम्पति का विवरण (लघु/मध्यम/वृहद परियोजना)	कार्य का विवरण	नहर/बांध की लम्बाई	मध्यम एवं वृहद परियोजना हेतु एस.डी.आर.एफ नोर्म्स के अनुसार राशि/किमी	लघु परियोजना हेतु प्रति स्कीम 1.50 लाख	कुल अनुमानित राशि (लाखों में)	जल संसाधन विभाग सवाई माधोपुर उपखण्ड का नाम	कार्य कारी संस्था/संस्था अधिकारी का नाम
1.	पांचोलास बांध	लघु	बांध की पाल व फेसवाल 0–2 किमी. क्षतिग्रस्त	-	-	1.50	1.50	उपखण्ड सवाई माधोपुर	श्री सुरेश चन्द भोपारिया, अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग खण्ड सवाई माधोपुर
2.	अजीतपुरा एम.आई.टी.	लघु	एम.आई.टी. के वेस्टवीयर की डाउनस्ट्रीम में कटाव	-	-	1.50	1.50		
3.	देवपुरा बांध	लघु	बांध के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में कटाव	-	-	1.50	1.50		
4.	गलाई सागर बांध	लघु	बांध के डाउनस्ट्रीम में रेनकट	-	-	1.50	1.50	उपखण्ड खण्डार	
5.	मोरासागर बांध	मध्यम	बांध की पाल व मुख्य नहर किमी 0.00 से 6.00 क्षतिग्रस्त	6 KM	0.60	3.60	3.60	उपखण्ड बामनवास	
6.	मोरासागर बांध	मध्यम	जाहिरा ब्रांच 0–8 किमी	8 KM	0.60	4.80	4.80		
7.	मोरासागर बांध	मध्यम	दातासुती माईनर 0–4 किमी	4 KM	0.60	2.40	2.40		
8.	मोरासागर बांध	मध्यम	मौरासागर बांध की तृतीय स्लूस कैनाल 0–3 किमी.	3 KM	0.60	1.80	1.80		
9.	मोरासागर बांध	मध्यम	मौरासागर बांध की द्वितीय स्लूस कैनाल 0–2 किमी.	2 KM	0.60	1.20	1.20		
10.	मोरासागर बांध	मध्यम	मौरासागर बांध की अब्बल माईनर 0–2 किमी.	2 KM	0.60	1.20	1.20		
11.	मोरासागर बांध	मध्यम	मौरासागर बांध की बीडावाली माईनर 0–6 किमी.	6 KM	0.60	3.60	3.60		
12.	मोरासागर बांध	मध्यम	मौरासागर बांध की मीडावाली माईनर 0–5 किमी.	5 KM	0.60	3.00	3.00		
13.	मोरासागर बांध	मध्यम	मौरासागर बांध की सेंगरवाली माईनर 0–2 किमी.	2 KM	0.60	1.20	1.20		
	योग						28.80		

1. स्वीकृत राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वे एस.डी.आर.एफ. में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करे।
3. वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही मरम्मत कार्य प्रारंभ किये जावें। यदि बजट आवंटन से पूर्व कोई कार्य प्रारंभ कर लिया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित कार्यकारी ऐजेन्सी की होगी।
4. स्वीकृत कार्यो को प्रारंभ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर –अंदर पूर्ण करना होगा।
5. यदि विभागीय बजट में संधारण एवं मरम्मत मद में कोई राशि उपलब्ध है तो उसके पूर्ण उपयोग के बाद ही एस.डी.आर.एफ. में स्वीकृत राशि का उपयोग किया जावेगा। उक्त आशय का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जावे।
6. कार्यो की तकनीकी स्वीकृति विभागीय नियमों के अनुसार जारी कर तकनीकी स्वीकृति एवं तकमीना की एक प्रति 3 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

7. तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही कार्यो की वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ कराये जावे।
8. मरम्मत कार्यो का निरीक्षण भी उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किये जाने के उपरांत ही भुगतान किया जावेगा।
9. स्वीकृत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने है व आंवटित राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना है
10. तात्कालिक मरम्मत के कार्यों से संबंधित देनदरियां आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाने पर उनका भुगतान कार्यकारी संस्था द्वारा स्वयं के बजट मद से किया जावेगा।
11. विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

क्रमांकः– सहा./बाढ़/क्षति. परि./2022/ 5375–5384
दिनांकः–30.09.2022

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर।
3. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि तकनीकी स्वीकृति 3 दिवस में जारी की जाकर मय तकमीना इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।
4. उप जिला कलेक्टर समस्त, खण्डार/बामनवास/सवाई माधोपुर।
5. तहसीलदार समस्त, खण्डार/बामनवास/सवाई माधोपुर।
6. जिला जनसम्पर्क अधिकारी सवाई माधोपुर।

प्रभारी अधिकारी सहायता
एवं अति0 जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर